



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 22.03.2021

1-थाना दादरी पुलिस द्वारा 04 चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 28 प्लेट लोहे की सैटरिंग व 20 पीस सरिया बरामद।

दिनांक 21/03/2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 04 चोर अभियुक्त 1.सोनू पुत्र लच्छी सिंह 2.अंकित पुत्र रामकुमार 3. प्रवेश उर्फ प्रियाशु पुत्र जगत सिंह 4. फरीद पुत्र बन्ने को थाना क्षेत्र के गौरव पेट्रोल पम्प के पास जी0टी0 रोड दादरी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से पल्ला फाटक के पास डी0एफ0सी0सी से चोरी की गयी 28 प्लेट लोहे की सैटरिंग व 20 पीस सरिया संबंधित मु0अ0स0 152/2021 धारा 379 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर बरामद की गई है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.सोनू पुत्र लच्छी सिंह निवासी ग्राम पल्ला थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 2.अंकित पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम पल्ला थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 3.प्रवेश उर्फ प्रियाशु पुत्र जगत सिंमह निवासी ग्राम पल्ला थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 4.फरीद पुत्र बन्ने निवासी नई बस्ती थाना छर्ना अलीगढ वर्तमान पता सुभाष की दुकान चिटहैरा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 152/2021 धारा 379/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

चोरी की गयी 28 प्लेट लोहे की सैटरिंग व 20 पीस सरिया संबंधित मु0अ0स0 152/2021 धारा 379 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

2-थाना सेक्टर 49 नोएडा पुलिस द्वारा आधार कार्ड व पैन कार्ड जैसी फर्जी आईडी बनाने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 सी0पी0यु0, 01 स्कैनर/प्रिन्टर, 02 मोबाइल फोन, 03 पासबुक भिन्न-भिन्न बैंक की, तीन चेक बुक भिन्न-भिन्न बैंक की, 05 ए0टी0एम कार्ड भिन्न-भिन्न बैंक के, 02 पैन कार्ड, 03 आधार कार्ड, 02 आई0डी0 कार्ड , 01 आर0सी0 , 01 स्टाम्प मोहर , 01 ड्राइविंग लाईसेन्स , 01 पी0वी0सी कार्ड पैकेट , 106 पैन कार्ड फार्म भरे/अधभरे , 18 आधार कार्ड एकनोलेजमेन्ट रसीद , 62 पैन एकनोलेजमेन्ट रसीद आदि सामान बरामद।

दिनांक 22/03/2021 को थाना सेक्टर 49 नोएडा पुलिस द्वारा आधार कार्ड व पैन कार्ड जैसी फर्जी आईडी बनाने वाले 03 शातिर अभियुक्त 1. बिट्टू उर्फ कुनाल प्रजापति पुत्र रामाज्ञा सिंह 2. सुनील कुमार पुत्र मोहन लाल 3. सुदीप कुमार पुत्र श्री हरिश चन्द्र को ग्राम मुनरिका दिल्ली स्थित एक दुकान से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 सी0पी0यु, 01 स्कैनर/प्रिन्टर, 02 मोबाइल फोन, 03 पासबुक भिन्न-भिन्न बैंक की, तीन चेक बुक भिन्न-भिन्न बैंक की, 05 ए0टी0एम कार्ड भिन्न-भिन्न बैंक के, 02 पैन कार्ड, 03 आधार कार्ड, 02 आई0डी0 कार्ड , 01 आर0सी0 , 01 स्टाम्प मोहर , 01 ड्राइविंग लाईसेन्स , 03 रेन्ट एग्रीमेन्ट , 07 स्कैनर/प्रिन्टर, 01 पी0वी0सी कार्ड पैकेट , 106 पैन कार्ड फार्म भरे/अधभरे , 18 आधार कार्ड एकनोलेजमेन्ट रसीद , 62 पैन एकनोलेजमेन्ट रसीद, 05 डायरी बरामद हुए हैं।

घटना का विवरण:

थाना सेक्टर 49 नोएडा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 161/21 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि के गवाहों की निशानदेही पर पकड़े गये अभियुक्त बिट्टू उर्फ कुनाल प्रजापति के द्वारा बताया गया कि यह मेरी दुकान है पूर्व मेरे पास आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाने का लाईसेन्स था तो मैंने आधार सेन्टर खोल लिया था वर्ष 2018 मे आधार कार्ड बनाने का लाईसेन्स कार्ड बैंको के पास चला गया और मेरे पास केवल पैन कार्ड बनाने का लाईसेन्स रह गया। तब मैंने ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। कमल रवि लाल शर्मा पहले मुनिरका मे ही रहता था तो मेरे पास आया करता था और नेपाली लोगों को मेरे पास लेकर आधार कार्ड बनवाने हेतु लेकर आता था और कहता था की इनके पास कोई आईडी नहीं है इनको होटल मे काम करना है इनके आधार कार्ड पैन कार्ड बना दो और वो मुझे इस काम के अच्छे पैसे दिया करता था तो मैंने रुपयों के लालच मे उन नेपाली व्यक्तियों के आधार कार्ड पैन कार्ड बना कर दिया करता था बाद मे कमल नोएडा मे रहने लगा और मेरे पास से आधार कार्ड बनाने का लाईसेन्स भी नहीं रह गया तो मैंने आन्ध्रा बैंक में आधार कार्ड सेन्टर चलाने वाले सुनील कुमार से सम्पर्क कर अपनी योजना मे शामिल कर लिया। नेपाली लोगो के पास आधार कार्ड बनाने हेतु कोई सपोर्टिंग दस्तावेज नहीं हुआ करते थे तो सुदीप ने एक फर्जी मोहर बना कर लाकर दिया था हम आधार कार्ड की बेवसाईट से आधार लैटर सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर उसमे नेपाली लोगो के फर्जी नाम पते भरकर सुदीप द्वारा लाये गये मोहर को लगाकर आन्ध्रा बैंक मे सुनील के पास लेकर जाते थे। सुनील से हमारी पहले से ही इस बारे मे बातचीत थी वह हमारा काम बिना कुछ पूछे उस आधार लैटर सर्टिफिकेट के आधार पर भरे हुए

फार्म को बिना चेक किये स्कैन कर नेपाली लोगो के फिंगरप्रिन्ट व आँखो का बायोमैट्रिक पहचान लेकर आधार केन्द्र को भेज देता था और 15 से 20 दिन के अन्दर आधार कार्ड तैयार होकर आ जाते थे जिसे हम कमल को दे देते थे।

अभियुक्तों का विवरण:

1. बिट्टू उर्फ कुनाल प्रजापति पुत्र रामाज्ञा सिंह मूल पता ग्राम पिपराझाम थाना कसिया जिला कुशीनगर वर्तमान पता 1244 सेक्टर 7 आरकेपुरम नई दिल्ली।
2. सुनील कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी आर0जेड0 487 गली न0 19 कैलाशपुरी पालम कालोनी नई दिल्ली।
3. सुदीप कुमार पुत्र श्री हरिश चन्द्र मूल पता ग्राम चिनकौरा थाना बेवर जिला मैनपुरी वर्तमान पता डी 211 लक्ष्मण सिंह काम्प्लेक्स ग्राम मुनिरका नई दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 0161/2021 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

01 सी0पी0यु, 01 स्कैनर/प्रिन्टर, 02 मोबाइल फोन, 03 पासबुक भिन्न-भिन्न बैंक की, तीन चेक बुक भिन्न-भिन्न बैंक की, 05 ए0टी0एम कार्ड भिन्न-भिन्न बैंक के, 02 पैन कार्ड, 03 आधार कार्ड, 02 आई0डी0 कार्ड, 01 आर0सी0, 01 स्टाम्प मोहर, 01 ड्राईविंग लाईसेन्स, 03 रेन्ट एग्रीमेन्ट, 07 स्कैनर/प्रिन्टर, 01 पी0वी0सी कार्ड पैकेट, 106 पैन कार्ड फार्म भरे/अधभरे, 18 आधार कार्ड एकनोलेजमेन्ट रसीद, 62 पैन एकनोलेजमेन्ट रसीद व 05 डायरी

3-थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल व 01 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 21.03.2021 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर मनीष कुमार पुत्र राम प्रवेश निवासी चोटपुर कालोनी थाना फेस 3 नोएडा को थाना क्षेत्र के एबीसीडी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर रंग लाल बिना नं0 प्लेट चेचिस नं0 00C20C20889 इंजन नं0 00C18M21276 व एक अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

अभियुक्त शातिर किस्म का वाहन चोर है जो एनसीआर क्षेत्र व थाना क्षेत्र में आये दिन वाहनो को चोरी की घटना कारित करता है।

अभियुक्त का विवरण:

मनीष कुमार पुत्र राम प्रवेश निवासी चोटपुर कालोनी थाना फेस 3 नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1. मु0अ0सं0 244/2021 धारा 414 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 245/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

01 मोटर साइकिल स्पलेण्डर रंग लाल बिना नं0 प्लेट चेचिस नं0 00C20C20889 इंजन नं0 00C18M21276 व एक अवैध चाकू



4-थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 150 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब मय शराब तस्करी में प्रयुक्त ब्रेजा कार बरामद।

दिनांक 21.03.2021 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त विकास उर्फ बिट्टू पुत्र वचनवीर सिंह निवासी ग्राम दौलताबाद थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर को थाना क्षेत्र के पर्थला कट से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 150 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब मय शराब तस्करी में प्रयुक्त ब्रेजा कार नं0 एचआर 29 एक्वू 0552 व 770 रूपये नकद बरामद हुए हैं।

अभियुक्त शातिर किस्म का शराब तस्कर है जो एनसीआर क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी ब्रेजा कार से करता है।

अभियुक्त का विवरण:

विकास उर्फ बिट्टू पुत्र वचनवीर सिंह निवासी ग्राम दौलताबाद थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 243/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

150 पच्चे अवैध अग्रेजी शराब मय शराब तस्करी में प्रयुक्त ब्रेजा कार नं0 एचआर 29 एक्यू 0552 व 770 रूपये नकद।